

## कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा आवश्यक सूचना

हरियाणा प्रदेश के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि मशीनीकरण के प्रोत्साहन हेतु फसल विविधिकरण स्कीम के तहत अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जीन्द, फतेहाबाद तथा सिरसा जिले के किसानों को मेज प्लान्टर, मेज/मल्टीक्रोप थ्रेशर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल व हैप्पी सीडर जैसे कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इच्छुक किसान भाई विभागीय वैबसाईट [www.agriharyana.in](http://www.agriharyana.in) व [www.agriharyana.gov.in](http://www.agriharyana.gov.in) पर दर्शाए हुए दिशा-निर्देश व प्रोफार्मा के अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए समय सीमा 19.12.2017 (प्रातः 10 बजे से) 15.02.2018 (सांय 5 बजे तक) निर्धारित है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी ऑनलाईन अपलोड करना भी अनिवार्य है।

1. वैद्य ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
2. आधार कार्ड।
3. बैंक विवरण (बैंक नाम, खाता नम्बर, शाखा का नाम, IFSC कोड)।
4. मोबाईल नम्बर।
5. पैन कार्ड नम्बर।
6. वचन पत्र (Undertaking) की आपने पिछले 5 वर्षों में उक्त कृषि यन्त्र पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
7. कृषि यन्त्र के बिल व यन्त्र के साथ किसान का फोटो।

- नोट:
1. किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कृप्या अपने जिले के उप कृषि निदेशक या सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
  2. इच्छुक किसान निर्धारित प्रोफार्मा में ऑफलाईन भी अपना आवेदन पत्र संबंधित उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं।
  3. संबंधित कृषि यन्त्र निर्माता/विक्रेता भारत सरकार की वैबसाईट [www.farmers.gov.in/agrimachinery.nic.in](http://www.farmers.gov.in/agrimachinery.nic.in) पर पंजीकरण व टैस्ट रिपोर्ट अपलोड करके उपरोक्त कृषि यन्त्र किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं।

## कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा आवश्यक सूचना

हरियाणा प्रदेश के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि मशीनीकरण के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेंहूँ) के तहत अम्बाला, रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, मेवात तथा पलवल जिले के किसानों को हस्तचालित स्प्रेयर, पावर नैपसैक स्प्रेयर, जीरो टिल सीड ड्रील, रोटावेटर/टरबोसिडर व लेजर लैण्ड लैवलर जैसे कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इच्छुक किसान भाई विभागीय वैबसाईट [www.agriharyana.in](http://www.agriharyana.in) व [www.agriharyana.gov.in](http://www.agriharyana.gov.in) पर दर्शाए हुए दिशा-निर्देश व प्रोफार्मा के अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए समय सीमा 19.12.2017 (प्रातः 10 बजे से) 15.02.2018 (सांय 5 बजे तक) निर्धारित है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी ऑनलाईन अपलोड करना भी अनिवार्य है।

1. वैद्य ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
2. आधार कार्ड।
3. बैंक विवरण (बैंक नाम, खाता नम्बर, शाखा का नाम, IFSC कोड)।
4. मोबाईल नम्बर।
5. पैन कार्ड नम्बर।
6. वचन पत्र (Undertaking) की आपने पिछले 5 वर्षों में उक्त कृषि यन्त्र पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
7. कृषि यन्त्र के बिल व यन्त्र के साथ किसान का फोटो।

नोट: 1. किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कृप्या अपने जिले के उप कृषि निदेशक या सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

2. इच्छुक किसान निर्धारित प्रोफार्मा में ऑफलाईन भी अपना आवेदन पत्र संबंधित उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं।

3. संबंधित कृषि यन्त्र निर्माता/विक्रेता भारत सरकार की वैबसाईट [www.farmers.gov.in/agrimachinery.nic.in](http://www.farmers.gov.in/agrimachinery.nic.in) पर पंजीकरण व टैस्ट रिपोर्ट अपलोड करके उपरोक्त कृषि यन्त्र किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं।

## कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा आवश्यक सूचना

हरियाणा प्रदेश के किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि मशीनीकरण के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) के तहत सभी जिलों के किसानों को सीड ड्रिल, रोटोवेटर, लेजर लैण्ड लैवलर, ट्रैक्टर माउंटिड स्प्रेयर जैसे कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इच्छुक किसान भाई विभागीय वैबसाईट [www.agriharyana.in](http://www.agriharyana.in) व [www.agriharyana.gov.in](http://www.agriharyana.gov.in) पर दर्शाए हुए दिशा-निर्देश व प्रोफार्मा के अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए समय सीमा 19.12.2017 (प्रातः 10 बजे से) 15.02.2018 (सांय 5 बजे तक) निर्धारित है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी ऑनलाईन अपलोड करना भी अनिवार्य है।

1. वैद्य ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
2. आधार कार्ड।
3. बैंक विवरण (बैंक नाम, खाता नम्बर, शाखा का नाम, IFSC कोड)।
4. मोबाईल नम्बर।
5. पैन कार्ड नम्बर।
6. वचन पत्र (Undertaking) की आपने पिछले 5 वर्षों में उक्त कृषि यन्त्र पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
7. कृषि यन्त्र के बिल व यन्त्र के साथ किसान का फोटो।

- नोट:
1. किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कृप्या अपने जिले के उप कृषि निदेशक या सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
  2. इच्छुक किसान निर्धारित प्रोफार्मा में ऑफलाईन भी अपना आवेदन पत्र संबंधित उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियन्ता के कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं।
  3. संबंधित कृषि यन्त्र निर्माता/विक्रेता भारत सरकार की वैबसाईट [www.farmers.gov.in/agrimachinery.nic.in](http://www.farmers.gov.in/agrimachinery.nic.in) पर पंजीकरण व टैस्ट रिपोर्ट अपलोड करके उपरोक्त कृषि यन्त्र किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं।

**कृषि यन्त्र पर अनुदान हेतु आवेदन पत्र**  
**वर्ष 2017-18**

1. किसान का नाम:
2. लिंग: (पुरुष/स्त्री)
3. जन्म तिथि:
4. पिता/पति का नाम:

किसान/प्रार्थी की फोटो अनिवार्य है
--

5. पता: जिला.....,ब्लाक..... गाँव.....

6. मोबाईल नं0.....

7. आधार कार्ड नं0.....

8. पैन कार्ड नं0.....

9. बैंक खाता का विवरण:

(i) बैंक का नाम:..... (ii) शाखा का नाम:.....

.....

(iii) खाता नम्बर..... (iv) आई.एफ.एस.सी.कोड.....

.....

10. कृषि यन्त्र का नाम:

11. ट्रैक्टर का विवरण:

(i) ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नं0:..... (ii) मॉडल:.....

.....

(iii) रजिस्ट्रेशन वैद्यता वर्ष..... (iv) ट्रैक्टर की हार्स पॉवर.....

.....

घोषणा: मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने पिछले 5 वर्षों के दौरान उपरोक्त कृषि यन्त्रों पर कृषि विभाग से अनुदान प्राप्त नहीं किया है ।

किसान के हस्ताक्षर/अगूठे का निशान

(पटवारी की रिपोर्ट—लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए अनिवार्य हैं )

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
.....निवासी.....रिकार्ड के अनुसार.....एकड़ .....कनाल जमीन का  
भू-स्वामी है।

रिपोर्ट क्रमांक.....दिनांक.....

पटवारी का नाम/मुख्यालय.....

पटवारी के हस्ताक्षर

नोट: आवेदनकर्ता द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।

1. वैद्य ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ।
2. अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र/ लघु एवं सीमान्त किसानों के बारे पटवारी रिपोर्ट ।
3. आधार कार्ड ।
4. बैंक विवरण (बैंक नाम, खाता नम्बर, शाखा का नाम, IFSC कोड) ।
5. मोबाईल नम्बर ।
6. पैन कार्ड नम्बर ।
7. वचन पत्र (Undertaking) की आपने पिछले 5 वर्षों में उक्त कृषि यन्त्र पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया हैं।
8. कृषि यन्त्र के बिल व यन्त्र के साथ किसान का फोटो ।